दिनांक..... 207

आदेश से राहत

07/6/2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके समक्ष
-2017 के मध्य हल्के पर प्रस्तुत हुई। वादी एवं वादी
अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी राजस्थान राज्य सुनिवाई
तहसीलदार नीमखेड़ा ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।
जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी की व हकदारी
वादी वाद पत्र में अंकित आराजी वाद पत्र प्रस्तुत करने से
पूर्व ही दिनांक 6/8/1996 को नगरविकास न्यास नीमखेड़ा
के नाम दर्ज हो चुकी है जिसका प्रमाण नहीं बताया गया है।
नगरविकास न्यास नीमखेड़ा के प्रमाण नहीं बताने
से प्रमाण के अभाव में वाद पत्र चलने योग्य नहीं
है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरकारी पक्ष तहसील
नीमखेड़ा की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी के जवाब
व बहस में दिये गये तर्क अनुसार प्रतिवादी का जवाब सही
स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता
पत्रावली नियमानुसार हल्के रिकार्ड में रख दी जावे।